


76

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर



नारायण दास पटेल तनय स्व. छोटेलाल पटेल, निवासी चिरहुला
रीवा, तह. हजूर, जिला-रीवा म.प्र. ----- आवेदक

बनाम

राज्य शासन म.प्र.

----- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदनपत्र

विस्तृत न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाष रीवा द्वारा राजस्व
अपील प्र.क्र. 416/अपील/99-2000 में पारित
आदेश दि. 19.4.2001

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
शु-राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि

राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नगूल तहसीलदार
रीवा के न्यायालय में ^{आदेश के विरुद्ध} इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि मोहल्ला
चिरहुला रीवा ^{स्थित} आराजी बसरा क्र. 2/9 नया नम्बर 76 रकबा 0.29 स.
के कुल रकबा 498 वर्गफीट पर गेट लगाकर एवं बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण
किये हैं। नगूल तहसीलदार ^{आवेदन/} (अपीलार्थी) के विस्तृत म.प्र. शु-रा.सं. 1959
की धारा 24B के अंतर्गत प्र.क्र. 155/अ-68 /98-99 पंजीबद्ध करके नोटिस
जारी किया और जबाब एवं साक्ष्य के उपरांत दि. 8.12.99 को उपरोक्त
विवादित रकबा 498 वर्गफीट से अपीलार्थी को बेकमल किये जाने का एवं
150/- अर्शदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया। नगूल

Narayan Das

प्रमथ: ..

R-1034-J-2001

श्री आर. सुन. पाठ
श्री. डा. दिगंज
12-6-2001 का रीवा
कैम्प या छहवना

12-6-2001
587

R 1034-I 101

17.7.15

आवेदक श्रीमती अशोक देवी अशोक
 यशवंत उपाध्याय । उनके द्वारा बताया कि
 आवेदक श्री गुरुदेव जी हैं और उनके लक्ष्मण
 का प्रकरण के संदर्भ में शर्तें नहीं हैं। अतः
 आवेदक के प्रकरण में शर्तें न लेने की
 इच्छा- स्तर पर समाप्त किया जाता है।
 श्रीमती अशोक देवी को बताया। प्रकरण राखी
 रिकार्ड है।

(M)
 अशोक

नारायण दास की पुत्री-
 हो चुकी हैं उनके बालों
 को खरब देने पर भी वे
 रुचि नहीं लेती। अतः
 उक्त No. 1034-I-101
 रिकार्ड है।